By email/Post

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

कार्यालय आदेश

संचिका सं०–म०भो०/को०–16/2012 ..2186/ पटना,दिनांक 29.8.13

मध्याह्न भोजन योजना के सफल संचालन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों द्वारा जिलों का भ्रमण किया जाता रहा है। सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि योजना को सफल बनाने हेतु **Special Inspection Drive** को आरम्भ किया जाए। जिसके तहत जिला के एक प्रखंण्ड के सारे स्कूल का निरीक्षण एक दिन में किया जायेगा।

यह निरीक्षण सम्बन्धित जिला के प्रभारी पदाधिकारी, जिला समन्वयक, जिला साधन सेवी एवं सभी प्रखंड साधन सेवी द्वारा विहित्त प्रपत्र के आलोक में (विहित्त प्रपत्र संलग्न अनुलग्न–1) किया जाएगा। इस हेतु माह अगस्त के लिए दिनांक 30.08.2013 को निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गई है। निरीक्षण किये जाने वाले प्रखंड का नाम उनके जिलों के सामने अंकित है।

प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना चिह्नित प्रखण्ड के रूटचार्ट बनवाकर सभी विद्यालयों का बँटवारा जिला के निरीक्षी पदाधिकारी को करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्रखण्ड के सभी विद्यालयों का निरीक्षण हो सके।

जिला प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी निरीक्षी पदाधिकारियों को उक्त प्रखण्ड से संबंधित एक दिन पूर्व का दोपहर (I.V.R.S) का सभी विद्यालय में उपस्थिति का आँकड़ा व दिनांक 29.08.2013 (वृहस्पतिवार) का दोपहर (I.V.R.S) का राशि व खाद्यान्न अनुपलब्धता सम्बन्धी आँकड़ा उपलब्ध कराएँगे व इन आँकड़ों का सत्यापन संलग्न प्रपत्र में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। निरीक्षण के समय सभी बिन्दुओं को अंकित करना अनिवार्य है। सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी संलग्न प्रपत्र (अनुलग्न–2) में प्रतिवेदन दिनांक : 30.08.2013 को सायं 06:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

जिला प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निरीक्षण के दौरान जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना बंद पाई जाती है उसे अविलंब संचालित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बंद के कारण की समीक्षा करते हुए जिम्मेदार व्यक्ति पर नियम सम्मत अथवा विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिस विद्यालय में भौतिक उपस्थिति एवं पंजीवार उपस्थिति में भिन्नता पाई जाती है उक्त विद्यालय में आर्थिक क्षति का आकलन करते हुए प्रधानाध्यापक से राशि वसूली की जाए, साथ ही उक्त प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनिक/कानूनी कार्रवाई की जाए।

क्र०सं०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम
1	अररिया	जोकीहाट
2	अरवल	कलेर
3	औरंगाबाद	नबीनगर
4	बांका	बाराहाट
5	बेगुसराय	मटिहानी
6	भागलपुर	जगदीशपुर
7	भोजपुर	आरा सदर
8	बक्सर	चौगाई
9	दरभंगा	दरभंगा सदर
10	गया	गया सदर
11	गोपालगंज	मांझा
12	जमुई	लक्ष्मीपुर
13	जहानाबाद	काको
14	कैमुर	मनुआ
15	कटिहार	बरारी
16	खगड़िया	गोगरी
17	किशनगंज	बहादुरगंज
18	लखीसराय	हलसी
19	मधेपुरा	मधेपुरा

20	मधुबनी	बेनपट्टी
21	मुंगेर	हवेली खड़गपुर
22	मुजफ्फरपुर	मुराहरी
23	नालन्दा	एकंगरसराय
24	नवादा	अकबरपुर
25	पश्चिम चम्पारण	बगहा–1
26	पटना	पटना सदर
27	पुर्णियाँ	~~कसबा~~ कृत्यानंद नगर
28	पुर्वी चम्पारण	कोतवा
29	रोहतास	करा गहर
30	सहरसा	काहरा
31	समस्तीपुर	कल्याणपुर
32	सारण	छपरा सदर
33	शेखपुरा	चेवारा
34	शिवहर	डुमरी कतसारी
35	सीतामढ़ी	पुपरी
36	सीवान	पंचरूखी
37	सुपौल	त्रिवेणीगंज
38	वैशाली	सहदेई बुजुर्ग

उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार जिला के सभी पदाधिकारी विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर मध्याह्न भोजन के संचालन से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे साथ ही भोजन को चखकर उसकी गुणवता कि सही पुष्टि करगे। सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि राज्य स्तर से निर्धारित किए गए प्रखण्ड में जिला स्तर से किसी भी परिस्थिति में परिवर्त्तन नहीं किया जाए।

ह०/–

(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।

ज्ञापांक ..../ पटना, दिनांक ..../
प्रतिलिपि :– सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।

ज्ञापांक ....2186........../ पटना, दिनांक ....29/8/13........../
प्रतिलिपि :– सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29.8
(आर० लक्ष्मणन)
निदेशक
मध्याह्न भोजन योजना
बिहार पटना।